विनोद कुमार – जनवारी लाल

दिनांक	आज्ञा पत्र
12-12-19	वकील अपीलान्ट 34/2 सी०पी०सी० के नोटिस पुनः पेश करे। पेश्तर वकील पर जारी है। तहत का रिकार्ड तलब है। पत्रावली दिनांक 8-1-20 को पेश हो।
8-1-20	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 [illegible] अपील खारिज कर दी जायेगी। [illegible] तामील पत्रावली रहे / तलब किया जावे। [illegible] तलबी दिनांक 9-1-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।
9-1-20	पत्रावली पेश। वकली अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official